प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 1245/2002

पूरन गोसाई

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

विचार हेतु निर्णय

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध दिनांक: 04.08.2008

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 1245/2002

पूरन गोसाई, पिता बुधराम गोसाई, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम डुमरटोली, नारायणपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

...अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना पी.एस.एच. अधिकारी, पी.एस.एच. सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

...प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत अपील

उपस्थित:

श्रीमती मीन शास्त्री, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

श्री प्रवीण दास, राज्य के लिए उप शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त लोक अभियोजक

निर्णय

(04/08/2008)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश के द्वारा घोषित किया गया -

(1) अपीलार्थी, पूरन गोसाई ने यह अपील, सत्र विचारण संख्या 339/2001 में, अंबिकापुर के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 02.8.2002 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध दायर

की है, जिसके तहत उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 450/34, 302/34 और 120-ख के तहत दोषी ठहराया गया और 10 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 1000/- रुपये का अर्थदंड अदा करने, अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का सश्रम कारावास, आजीवन कारावास और 1000/- रुपये का अर्थदंड अदा करने, अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का सश्रम कारावास और 6 माह का सश्रम कारावास की दंडादेश दिया गया, साथ ही दंड को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया।

(2) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 28/29 जून 2001 की मध्यरात्रि को, मृतक रंथू पुरी, उनकी पत्नी नीरा बाई (सह-अभियुक्त) और बेटी रीता दास (अ.सा.10) बेलगाम गाँव में अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। मध्यरात्रि के लगभग 12 बजे, रीता दास ने कुछ शोर सुना और वह जाग गई। उसने देखा कि चेहरे ढके हुए तीन व्यक्ति उसके पिता के शव के ऊपर बैठे थे; उनमें से एक व्यक्ति उसके पिता की गर्दन दबा रहा था, जबकि एक हमलावर छाती पर था और दूसरे ने उनके पैर दबाए हुए थे ताकि वह हिल न सकें या प्रतिरोध न कर सकें। उसके पिता की उसी झोपड़ी में मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद, टॉर्च की रोशनी में, वह हमलावरों में से एक का चेहरा देख सकती थी क्योंकि उसने अपने चेहरे पर जो कृत्रिम दाढ़ी लगाई थी, वह नीचे गिर गई थी। हमलावर घर से भाग गए। इसके बाद, उसकी माँ ने शोर मचाया। प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी.6, रीता दास (अ.सा.10) द्वारा संबंधित पुलिस थाना में दिनांक 29.6.2001 को सुबह लगभग 8:35 बजे दर्ज कराई गई। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी क्योंकि सूचनकर्ता ने हमलावरों के नामों का उल्लेख नहीं किया था। बाद में, रीता दास (अ.सा.10) के कहने पर एक मर्ग सूचना प्रदर्श पी.7 भी दर्ज की गई जिसमें उपरोक्त विवरण भी शामिल हैं, लेकिन हमलावरों के नामों का उल्लेख मर्ग सूचना में नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) परीक्षण के दौरान, मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा तैयार की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तीन डॉक्टरों की एक टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें उनकी राय थी कि मौत का कारण दम घुटना और गला घोंटकर हत्या थी और यह मानववध की प्रकृति का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.3 है। कुछ समय बाद, अपीलकर्ता पूरन दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दिनांक 04.7.2001 को उसकी पहचान कार्यवाही कराई गई, जिसमें रीता दास (अ.सा.10) ने उसकी पहचान की। पुलिस ने केवल दो व्यक्तियों, अर्थात् अभियुक्त/अपीलकर्ता पूरन गोसाई और नीरा बाई (मृतक की पत्नी) के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया।

(4) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, अभियुक्त अपीलकर्ता को उपर्युक्त अनुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया। हालाँकि, अभियुक्त नीरा बाई को दोषमुक्त कर दिया गया। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि केवल रीता दास (अ.सा.10) की गवाही पर आधारित है, जो घटना की चक्षुदर्शी साक्षी थी और दिनक 04.7.2001 को आयोजित शिनाख्त कार्यवाही की भी गवाह थी, जिसमें उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता की विधिवत पहचान की थी।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रीता दास मृतक की पुत्री है, इसलिए वह एक हितबद्ध साक्षी है और केवल उसकी साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में अपीलकर्ता का नाम उजागर किया है, जबकि उसने न तो प्राथमिकी में और न ही मर्ग सूचना में उसका नाम लिया था; इसलिए, इस साक्षी की ओर से की गई लोप अभियोजन पक्ष के लिए घातक सिद्ध होती है। तीसरा, उन्होंने तर्क दिया कि साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि अभियुक्त अपीलकर्ता इस साक्षी का मामा था और वह अक्सर उनके घर आता-जाता रहता था, इसलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, शिनाख्त कार्यवाही अभियोजन पक्ष के लिए किसी काम की नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले का समर्थन किया।

(7) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र विचारण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(8) जहां तक हितबद्ध और रिश्तेदार साक्षियों से संबंधित तर्क का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय ने ***रिज़ान और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, एआईआर 2003 एस.सी. 976*** के मामले में कंडिका 6 में यह माना है कि संबंध किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अधिकतर ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार असली अपराधी को छिपा नहीं पाता और निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगा देता है। अगर झूठे आरोप लगाने की तर्क दी जाती है, तो आधार तैयार करना होगा। ऐसे स्थिति में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और साक्ष्यों का विवेचन करके यह पता करना चाहिए कि वे साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय हैं।

(9) ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पारस नाथ सिंह एवं अन्य एआईआर 1973 एससी पेज 1073*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, केरल उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने ***सहदेवन राजन एवं***

अन्य बनाम केरल राज्य, 1992 सीआरआई एलजे 2049 के मामले में भी माना कि मृतक के रिश्तेदारों के सीधे और विश्वसनीय साक्ष्य को दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। ऐसे साक्ष्य को केवल अभियोजन पक्ष की मामले में रुचि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

(10) ***नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 एआईआर एससीडब्ल्यू 1835*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी साक्षी को, जो मृतक या अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, 'हितबद्ध' नहीं माना जा सकता। 'हितबद्ध' शब्द का अर्थ है कि साक्षी का किसी न किसी तरह से, किसी द्वेष या किसी अन्य अप्रत्यक्ष उद्देश्य से अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'हित' है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी करीबी रिश्तेदार को 'हितबद्ध' साक्षी नहीं माना जा सकता। वह एक 'स्वाभाविक' साक्षी है। हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक निरीक्षण की जानी चाहिए। यदि ऐसी जाँच में, उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभाव्य और पूर्णतः विश्वसनीय पाया जाता है, तो ऐसे गवाह की 'एकमात्र' गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ साक्षी का घनिष्ठ संबंध उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार आमतौर पर असली अपराधी को छोड़ने और किसी निर्दोष को झूठा फंसाने में सबसे अधिक अनिच्छुक होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ***हरबंस कौर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 2005 एआईआर एससीडब्ल्यू 2074*** मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया कि विधिक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रिश्तेदारों को झूठे साक्षी माना जाए। इसके विपरीत, जब पक्षपात का तर्क दिया जाता है, तो यह दर्शाना आवश्यक है कि साक्षियों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अभियुक्त को झूठा फंसाने का कोई कारण था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) इसलिए, उपरोक्त के दृष्टिगत, यह नहीं माना जा सकता कि रीता दास (अ.सा.10) की एकमात्र साक्ष्य पर केवल इस आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह मृतक की बेटी थी। हमें उसके साक्ष्य की उचित सावधानी और सतर्कता से निरीक्षण करनी है और यदि उसका साक्ष्य विभिन्न प्रकरणों में बताए गए उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करके विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है, तो दोषसिद्धि केवल उसकी साक्ष्य पर आधारित हो सकती है।

(12) यदि हम रीता दास (अ.सा.10) के साक्ष्य पर गौर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि रीता दास की आयु सत्र न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दर्ज होने की तिथि अर्थात 17.4.2002 को लगभग 10 वर्ष थी। उसने अपने

साक्ष्य के कंडिका 6 के तहत स्वीकार किया कि अपीलकर्ता पूरन गोसाई उसका मामा है। कंडिका 7 के तहत उसने कहा है कि उस घटना की रात को वह अपनी मां के साथ खाट पर सो रही थी और मृतक उसी कमरे में फर्श पर सो रहा था, जब अपीलकर्ता और उसका एक सहयोगी उनके घर में प्रवेश किया। अपीलकर्ता ने उसके पिता की गर्दन दबाई जबकि दूसरा हमलावर उसके पैर पकड़े हुए था और उस पर बैठा था। उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.6) और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी.7) दर्ज करने को सिद्ध कर दिया। अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 10 में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने इन दस्तावेजों के लेखकों को अपीलकर्ता पूरन गोसाई का नाम बताया था और यदि इन दस्तावेजों में इस अपीलकर्ता का नाम लोप है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि पुलिस ने थाना के पास उसकी पहचान कार्यवाही कराई थी, जिसमें उसने अपीलकर्ता पूरन गोसाई की पहचान की थी। प्रति-परीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि वह अपीलकर्ता पूरन को जानती थी क्योंकि वह उसका मामा है और अक्सर उनके घर आता-जाता था। प्रति-परीक्षा के अंतिम कंडिका में, उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अपीलकर्ता प्रतिदिन उनके घर आता था और उसने यह भी स्वीकार किया कि वास्तव में, अपीलकर्ता उस रात उनके घर में प्रवेश नहीं किया था, उसने उसे दिन में देखा था, इसलिए उसने उसका नाम लिया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) प्राथमिकी प्रदर्श पी.6 और मर्ग सूचना प्रदर्श पी.7 के परिप्रेक्ष्य में उसके साक्ष्य की मूल्यांकन करते हुए, हम पाते हैं कि उक्त दोनों दस्तावेजों में, इस अपीलकर्ता का नाम उल्लेखित नहीं है और साक्षी ने कहा है कि उसने दोनों अवसरों पर अपीलकर्ता का नाम बताया था और यदि इन दस्तावेजों में इसका उल्लेख नहीं है, तो वह इसके कारण नहीं बता सकती है। उपरोक्त दोनों दस्तावेज़ों में अपीलकर्ता का नाम न होना इस साक्षी की साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न करता है। अगर उसने रात में ही अपीलकर्ता को पहचान लिया होता कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका मामा है, तो वह प्राथमिकी दर्ज कराते समय या फिर उसके कहने पर मर्ग सूचना दर्ज कराते समय पुलिस को उसका नाम बता देती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसका यह लोप अभियोजन पक्ष के लिए घातक सिद्ध होता है और इस साक्षी का साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, जब इस साक्षी ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि उस घटना की रात में, अपीलकर्ता उनके घर में प्रवेश नहीं किया था और उसने उसका नाम इसलिए लिया था क्योंकि उसने उसे दिन में देखा था, तो इस साक्षी द्वारा की गई इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति के आधार पर इस न्यायालय के लिए उसके साक्ष्य की और अधिक मूल्यांकन करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(14) जहाँ तक पहचान कार्यवाही की बात है, इस मामले में उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि अगर रीता दास (अ.सा.10) अभियुक्त को पहले से जानती थीं और उन्होंने रात में उसे पहचान लिया था, जैसा कि उन्होंने दावा किया है, तो वह सीधे प्राथमिकी और मर्ग सूचना में उसका नाम लिख सकती थीं, और पहचान कार्यवाही कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, उन्होंने पहचान कार्यवाही में अपीलकर्ता, जो उनके मामा थे, की पहचान की है। इस साक्षी के अनुसार, पहचान कार्यवाही पुलिस ने ही थाना परिसर के समीप कराई थी और पहचान कार्यवाही के दौरान पुलिसकर्मी पूरे समय मौजूद थे। इसलिए, हमारा यह मानना है कि इस साक्षी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और केवल उसकी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि स्थापित नहीं रखी जा सकती है तथा इस साक्षी की एकमात्र साक्ष्य पर भरोसा करके और अपीलकर्ता को दोषी ठहराकर विचारण न्यायालय ने विधिक तौर पर गलती की है।

(15) उपरोक्त चर्चा के लिए, विचारण न्यायालय के निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और यह अपास्त किए जाने योग्य है।

(16) तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता के विरुद्ध अधिरोपित दोषसिद्धि और दण्डादेश अपास्त किया जाता है। उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - ब्रजेश कुमार तिवारी